(29)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 2258–तीन/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 12–03–13 पारित तहसीलदार, तहसील सिरमौर जिला रीवा प्रकरण कमांक 12/अ–12/12–13 .

भरत शरण सिंह तनय स्व. हरिमंगल सिंह
निवासी ग्राम सदहना, तह0 सिरमौर,
जिला रीवा

—— आवेदक

विरूध्द

1–अरूणप्रताप सिंह तनय स्व0 हरिमंगलसिंह
निवासी ग्राम सदहना, तह0 सिरमौर,
जिला रीवा
2– मध्यप्रदेश शासन

—— अनावेदकगण

श्री मंगलेश्वर सिंह, अभिभाषक – आवेदक
श्री अजय पाण्डेय, अभिभाषक– अनावेदक क0–1

आदेश

(आज दिनांक 21.5.14 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार, तहसील सिरमौर के प्रकरण कमांक 12/अ–12/12–13 में पारित आदेश दिनांक 12–03–2013 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण अरूणप्रताप सिंह व्दारा अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि आराजी नं0 1968/2 रकबा 2.829 हे.

के सीमांकन हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी व्दारा दिनांक 16–6–12 को प्रश्नाधीन भूमि का सीमांक कर सीमांकन प्रतिवेदन, मय पंचनामा, नजरी नक्शा फील्ड बुक एवं सूचनापत्र के साथ तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। आवेदक भरतशरण सिंह व्दारा तहसील न्यायालय में सीमांकन में आपत्ति प्रस्तुत कर पुनः सीमांकन कराये जाने का अनुरोध किया। तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 14–11–12 व्दारा आवेदक की दुबारा सीमांकन कराने की आपत्ति निरस्त की। तत्पश्चात तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 12–3–13 व्दारा सीमांकन की पुष्टि की। इस आदेश के विरूध्द आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि ग्राम पड़री की का बंटाकन नम्बर 1668/5 का हिस्सा आवेदक को प्राप्त हुआ है जिस पर वह बतौर भूमिस्वामी काबिज दाखिल है। राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी ने आवेदक की भूमि अनावेदक क0–1 के हित में सीमांकन कर नजरी नक्शा तरमीम किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि आवेदक की अनुपस्थिति में राजस्व निरीक्षक व्दारा सीमांकन किया गया है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार का सीमांकन पुष्टि आदेश निरस्त कर पुनः सीमांकन कराने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक क0–1 के अभिभाषक का यह तर्क है कि सीमांकन के पूर्व विधिवत सूचना दी गयी थी तथा सीमांकन के समय आवेदक मौके पर उपस्थित था। राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी व्दारा विधिवत सीमांकन कर नजरी नक्शा एवं फील्ड बुक तैयार की गयी है। आवेदक व्दारा पुनः सीमांकन की मॉग तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 14–11–12 व्दारा खारिज की गयी जिसके विरूध्द आवेदक व्दारा सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की.

इस कारण यह आदेश अन्तिम हो चुका है। उनका तर्क है कि सीमांकन में कोई त्रुटि नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन का सूचनापत्र तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 20 पर उपलब्ध है जिस पर अन्य कृषकों के साथ ही आवेदक भरतशरण सिंह के हस्ताक्षर है जिससे स्पष्ट है कि सीमांकन दिनांक 16–6–12 की सूचना आवेदक को थी। तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 14–11–12 में यह उल्लेख किया है कि 'आपत्तिकर्त्ता वक्त सीमांकन उपस्थित था और पंचनामें में उसके हस्ताक्षर सबसे नीचे बने हैं। आवेदक व्दारा सीमांकन पर आपत्ति भी तहसील न्यायालय में प्रस्तुत की है तथा तहसीलदार ने आपत्तिकर्त्ता को सुनने के पश्चात अपने आदेश दिनांक 14–11–12 व्दारा पुनः सीमांकन की मॉग आवेदक की अमान्य की गयी जिसके विरूध्द आवेदक व्दारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करना अभिलेख से विदित नहीं होता। राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी व्दारा प्रश्नाधीन भूमि 1968/2 का नजरी नक्शा एवं फील्ड बुक सीमांकन कर प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की गयी है जिससे प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत सीमांकन करना प्रतीत होता है। आवेदक की आपत्ति सीमांकित की गयी भूमि आ0नं0 1968/2 की ना होकर उसके स्वत्व की भूमि 1968/5 होना बताया गया है, किन्तु इस संबंध में कोई भी प्रमाण अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी दशा में तहसीलदार व्दारा किये गये सीमांकन पुष्टिकरण आदेश में निगरानी में हस्तक्षेप का पर्याप्त आधार नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। तहसीलदार का आदेश दिनांक 12–03–13 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, म0प्र0